

प्रतिवेदन

परियोजना का नाम :- मुख्यमंत्री ग्राम सड़क संयोजन योजना के अन्तर्गत जनपद चमोली के विकास खण्ड पोखरी में रौता-मालकोटी-सेरा तक मोटर मार्ग के नव निर्माण हेतु ^{1.89} वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव।

राज्य योजना के अन्तर्गत जनपद चमोली के विकास खण्ड पोखरी में रौता-मालकोटी-सेरा तक मोटर मार्ग के नव निर्माण की स्वीकृत शासनादेश संख्या 1440/111(2)/11-05(प्रा0आ0)/2010 दिनांक 28.03.2011 के द्वारा 5.00 कि०मी० लम्बाई हेतु लागत रू0 63.00 लाख की प्राप्त हुई है। मार्ग निर्माण की वास्तविक लम्बाई 5.00 कि०मी० आती है। प्रस्तावित मोटर मार्ग उडामांडा-रौता मोटर मार्ग किमी० 31.00 से प्रारम्भ होकर सेरा गाँव तक जाता है। इस मोटर मार्ग के निर्माण से ग्राम-रौता व मालकोटी सेरा प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष रूप से लाभान्वित होंगे तथा ग्रामीण एवं पिछड़े क्षेत्र यातायात से जुड़ जायेंगे। इनका समग्र विकास होगा तथा साथ ही ग्रामीणों का तहसील मुख्यालय पोखरी से सीधा सम्पर्क हो सकेगा। ग्रामीण को अपनी नगदी फसलों को बाजार तक लाने में सुविधा होगी जिससे वे फसल उचित दाम पर बेच सकेंगे जिससे ग्रामीणों को आर्थिक लाभ मिलेगा।

मार्ग का संरेखण इस प्रकार निर्धारित किया गया है की मार्ग निर्माण न्यूनतम सिविल वन भूमि से गुजरे एवं कम से कम वृक्षों का पातन हो। मार्ग पर पड़ने वाली भूमि का विवरण निम्न प्रकार से हैं।

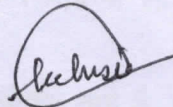
1-नाप भूमि	2.300 कि०मी० x 7 मी० =	1.61 है०
2-वन पंचायत भूमि	2.700 कि०मी० x 7 मी० =	1.89 है०
3-मक डिस्पोजल हेतु (निजी भूमि)		= 0.27 है०

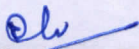
योग = 3.77 है०

अतः मार्ग निर्माण हेतु 1.89 है० सिविल/वन पंचायत भूमि एवं मक डिस्पोजल प्लान सहित प्रस्ताव गठित कर लो०नि०वि० को हस्तान्तरण करने हेतु प्रस्तुत किया गया है।


अमीन
नि०ख०,लो०नि०वि०
पोखरी


कनिष्ठा अभियन्ता
निर्माण खण्ड लो०नि०वि०
पोखरी


सहायक अभियन्ता
निर्माण खण्ड लो०नि०वि०
पोखरी


अधिशारी अभियन्ता
निर्माण खण्ड लो०नि०वि०
पोखरी